न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— पंकज कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः— 04/2023

अपीलांटः—

लूंगली बेवा मोड़ाराम, जाति मेघवाल निवासी माणकलाव तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टसः—

1. प्रेमाराम पुत्र चुनाराम
2. पुरकी पुत्री मोडाराम
3. सुगना पुत्री मोडाराम
4. सोहनी पुत्री मोडाराम
5. बाया पुत्री मोडाराम (फौत) के कायम मुकामः—
   5/1 सेठाराम पुत्र छोटूराम
   5/2 मूलाराम पुत्र छोटूराम
   5/3 हंसराज पुत्र छोटूराम
   जातियान मेघवाल, निवासीगण माणकलाव तह. व जिला जोधपुर।
6. ग्राम पंचायत माणकलाव जरिए सरपंच ग्राम पंचायत माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर।

भू—राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम बनाराजगी आदेष नामान्तरकरण संख्या 1099 दिनांक 25.12.2006 सरपंच ग्राम पचायत माणकलाव द्वारा परित किया गयां।

उपस्थितिः—

1. श्री प्रेमसिंह पूनिया, श्री धीरेन्द्र सोउ अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से
2. श्री महेन्द्र प्रसाद गेंदा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सं. 1 की ओर से
3. श्री जुगल किशौर, चेतन कुमार अधिवक्तागण रेस्पोडेन्टस सं. 2 से 4 एवं 5/1 से 5/3 की ओर से

दिनांकः— 28/8/24

—::आदेशः::—

अपीलांट की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि खेत खसरा नम्बर 216/1 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 283/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 216/4 रकबा 15 बिस्वा ग्राम माणकलाव, पटवार हल्का माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर में स्थित कृषि भूमि अपीलाण्ट के स्वर्गीय पति मोडाराम पुत्र पोकरराम की खातेदारी की थी। मोडाराम का देहान्त होने के पश्चात स्वर्गीय मोडाराम के फौतगी का म्युटेशन संख्या 1099 सरपंच ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा दिनांक 25.12.2006 को स्वीकृत वक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व० मोडाराम का पुत्र न होकर चुनाराम का पुत्र था को स्व० मोडाराम का पुत्र बताकर फर्जी तरीके से उपरोक्त म्युटेशन में स्व० मोडाराम के वारिसान अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के साथ साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम भी स्व० मोडाराम का पुत्र बताकर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैः—

आधार

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं वाक्याती मिसल के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त है।
2. स्व० मोडाराम के वारिसान अपीलाण्ट पत्नी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 पुत्रियाँ थी इसके अलावा स्व० मोडाराम के कोई पुत्र नही था इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 ही थी जिसके नाम ही उक्त म्युटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिए था जो सरपंच ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा राजनेतिक दुरूभावनावश स्व० मोडाराम के पुत्र के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम का नाम दर्ज कर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के साथ साथ 1/6 हिस्से का खातेदार बना दिया गया जबकि प्रेमाराम स्व० मोडाराम का पुत्र नही होकर चुनाराम का पुत्र है। स्व० मोडाराम की सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम का कोई लेना देना नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम ने उपरोक्त भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

फर्जी तरीके से सरपंच से मिलीभगत कर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम न तो स्व० मोडाराम का वारिस है, न ही पुत्र है। इस कारण उक्त अपील उपरोक्त म्युटेशन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम का नाम हटाकर शेष स्व० मोडाराम के वारिसानो का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु यह अपील पेश है।

3. म्युटेशन संख्या 1099 सरपंच ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा अकेले ही अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 से बाले बाले स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के हिस्से की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज कर कानूनन घोर अवहलेना की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. म्युटेशन संख्या 1099 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम को किस आधार पर स्व० मोडाराम का वारिसान बनाया गया इस संबंध में न तो कोई दस्तावेज पेश किया गया और न ही सरपंच द्वारा कोई जाँच की गई। म्युटेशन संख्या 1099 के कॉलम संख्या 1416 में मोडाराम के फौत होने के पाँच माह पश्चात गाँव के वारिसानों से पूछताछ करने का अंकन किया गया है जबकि किस वारिसाान से पूछताछ की गई एवं गाँव वालों को मोडाराम के वारिसाान से क्या लेना देना था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम न तो स्व० मोडाराम का पुत्र था, न ही स्व०मोडाराम ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम को न तो गोद लिया था, न ही गोद पुत्र था इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम स्व० मोडाराम का पुत्र होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, न ही स्व० मोडाराम का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का वारिसान है। इस कारण उक्त म्युटेशन संख्या 1099 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम पुत्र मोडाराम का जो गलत दर्ज किया गया है उसको हटाकर स्व० मोडाराम के शेष वारिसाान अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 का दर्ज किया जाना विधिसम्मत है।
5. सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त म्युटेशन स्वीकृत करते समय न तो कोई नोटिस दिया । अपीलाण्ट अनुसूचित जाति की अशिक्षित महिला है जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नही है। अपील अन्दर म्याद लिए जाने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।
6. उक्त म्युटेशन न तो ग्राम पंचायत की बैठक में रखा गया न ही उक्त म्युटेशन में दर्ज वारिसानो की ग्राम पंचायत द्वारा जाँच की गई। सरपंच अकेले ने ही राजनेतिक दुर्भावनावश अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम नाम दर्ज कर कानून की घोर अवहलेना की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलांट की ओर से अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.12.2006 की सर्वप्रथम प्रार्थीनी को जानकारी दिनांक 13.01.2023 को हल्का पटवारी ग्राम माणकलाव से मिलने पर गाँव माणकलाव में हुई। जानकारी होते ही प्रथम ज्ञान से अपीलाण्ट ने अपील का खर्चे का प्रबन्ध कर वकील मुकर्रर कर जानकारी तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश की है। इसके विपरीत रेस्पोडेंट सं. 1 ने कथन किया कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 1099 दिनांक 25.12.2006 की पूर्ण जानकारी थी। बैंक से जो ऋण लिया गया था, उसकी जानकारी अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को होने का कथन किया किंतु इस तर्क के समर्थन में रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से किसी प्रकार का दस्तावेज या साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया इस परिस्थित में अपील में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है एवं धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मृतक के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1, 5/2, 5/3 की ओर से अपील का निम्न जवाब बिंदुवार पेश करते हुए निवेदन किया कि अपील के संक्षिप्त वाक्यात सही होने से स्वीकार है। अपील के आधार के पद संख्या 2 में वर्णित वाक्यात का जवाब इस प्रकार है कि अपीलाण्ट स्व० मोडाराम की पत्नी है तथा स्व० मोडाराम व अपीलाण्ट की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 पुत्रियाँ है तथा पेमाराम स्वर्गीय मोडाराम व अपीलाण्ट का जायन्दा पुत्र नही है बल्कि मोडाराम के भाई चुनाराम का पुत्र है तथा अपीलाण्ट

उसके पति स्व० मोडाराम ने कभी भी पेमाराम को गोद नही लिया तथा न ही गोद की रस्म है। अपील के आधार के पद संख्या 3 में वर्णित वाक्यात आंशिक रूप से स्वीकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पिता की मृत्यु के बाद फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को कोई सूचना नही दी तथा उनको बिना बताए उनके रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पिता के भाई चुनाराम के पुत्र प्रेमाराम का नाम भी सहखातेदारी में दर्ज किया गया। अपील के आधार के पद संख्या 4 में लिखे गए तथ्य सही होने से स्वीकार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के माता पिता ने कभी भी प्रेमाराम को गोद नही लिया तथा न ही गोद के संबंध में कोई रस्म की तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमाराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 का भाई होने का कोई दायित्व निभाया और न ही भाई होने का एहसास करवाया। अतः अपील अपीलाण्ट नियानुसार स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को कोई एतराज नही है।

अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट समाज के मौजिज व्यक्तियो की मौजूदगी मे सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था जिसकी 50/– के स्टाम्प पेपर लिखा पढ़ी की गई है। जिस पर अपीलान्ट के अंगूष्ठा निसान है एंव समाज के मौजीज व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिसके आधार पर अपीलान्ट एंव उनकी पुत्रिया ने प्रेमाराम को मोडाराम का दतक पुत्र होना स्वीकार किया था तथा रेस्पोडेन्ट की भविष्य में मोडाराम के पुत्र के रूप मे जाना जायेगा। ऐसा लिखापढी मे अंकित है। अपीलान्ट के पति मोडाराम के देहान्त होने पर उसकी अस्थिया लेकर व मृतक की पुत्रियों के साथ बही रेस्पोडेन्ट गया था, हरिराम में पण्डो की बही में प्रेमाराम के पिता का नाम मोडाराम लिखा हुआ है तथा हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम का सम्पूर्ण खर्चा भी प्रेमाराम ने ही किया था, तथा भाट की बही मे भी अंकित है कि मोडाराम के दिनो में खर्चा किसने किया था तथा प्रेमाराम का नाम भाट की बही मे भी अंकित है। हरिराम जाकर गंगाजल करने के भी फोटो रेस्पोडेन्ट के पास है। यह दावा झूठा होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी मोडाराम का दत्तक पुत्र है एवम् मोडाराम की संपूर्ण चल व अचल सम्पति का कानूनी वारिस है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा पेश अपील को मयाद बाहर होने एवम् आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की अपील पर सुनी गयी। प्रस्तुत अपील, जवाब अपील, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवम उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को पर मनन कर विचार किया गया।

बहस के दौरान अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया एवं रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 द्वारा अधिवक्ता अपीलांट के समर्थन में अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट स्व० मोडाराम की पत्नी है तथा स्व० मोडाराम व अपीलाण्ट की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 पुत्रियाँ है तथा प्रेमाराम स्वर्गीय मोडाराम व अपीलाण्ट का जायन्दा पुत्र नही है इनके खण्डन में अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने प्रेमाराम को मोडाराम का दत्तक पुत्र होना जाहिर किया एवं 50/– रुपये के स्टांप पेपर पर लिखा पढी दस्तावेज पेश किया। उक्त दस्तावेज का अध्ययन किया गया। चूंकि उक्त दस्तावेज जिसमें रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा दत्तक पुत्र होना जाहिर किया गया है वह पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं है जिसे उचित साक्ष्य–सबूत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामा. सं. 1099 निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को रिमांड कर आदेशित किया जाता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई कर नियमानुसार नए सिरे से नामा की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 28/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)